38

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्या:23–(12ए–कैशलेस) 2011 दिनांक:अगस्त 30, 2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय: **SGPGI लखनऊ में उ0प्र0 पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों / उनके आश्रितों के कैशलेस उपचार के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि **SGPGI** लखनऊ उ0प्र0 पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों / उनके आश्रितों के उपचार के संबंध में दिनांक 24.8.2017 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय निम्नवत हैं :–

(1) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी **आवेदन पत्र तथा हेल्थ कार्ड दो प्रतियों में** अपने कार्यालय के सक्षम अधिकारी से निर्दिष्ट स्थान पर कर्मी की **फोटो समुहर सत्यापित** कराकर ओएसडी कैम्प कार्यालय, पुलिस लाइन्स लखनऊ से प्रमाणित कराने के बाद **PGI** लखनऊ में सी0आर0 नम्बर हेतु प्रस्तुत करेगा। **कार्यवाही आवेदन कर्ता पुलिस अधि0 / कर्मचारी द्वारा**

(2) **PGI** लखनऊ से आवेदन पत्र पर सी0आर0 नम्बर प्राप्त कर उसे **PGI** के सक्षम प्राधिकारी से समुहर सत्यापित करायेगा तथा उसकी एक प्रति कैम्प कार्यालय लखनऊ में जमा करेगा दूसरी प्रति उपचार हेतु **PGI** में ही जमा की जायेगी। **कार्यवाही आवेदन कर्ता द्वारा**

(4) कैम्प कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें कर्मी की नियुक्ति के जनपद / इकाई, कर्मी का नाम व पद, आश्रित का उपचार कराये जाने की दशा में आश्रित का नाम, कर्मी से सम्बन्ध, सी0आर0 नम्बर अंकित कर रखा जायेगा तथा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र प्रतिमाह पुलिस मुख्यालय भेजे जायेंगे। **कार्यवाही ओएसडी कल्याण लखनऊ द्वारा**

(5) कर्मी द्वारा आवेदन पत्र के साथ ही अनिवार्य रुप से फार्म–बी संलग्न कर **SGPGI** लखनऊ के उपचार से संबंधित चिकित्सक से समुहर हस्ताक्षरित कराकर आंकिक शाखा में जमा किया जायेगा। **कार्यवाही आवेदन कर्ता पुलिस अधि0 / कर्मचारी द्वारा**

(6) उपचार सम्बन्धी आवेदन पत्र मात्र 03 माह के लिये ही मान्य होगे 03 माह पश्चात भी उपचार की आवश्यकता होने पर पुनः इसी प्रकिया का अनुसरण करना होगा। **कार्यवाही आवेदन कर्ता पुलिस अधि0 / कर्मचारी द्वारा**

(7) पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी कर्मियों द्वारा इस आशय शपथ–पत्र दिया जायेगा कि यदि किसी कारणवश **SGPGI** लखनऊ को उनकी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यय हुयी धनराशि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे कर्मी के वेतन / पेंशन एवं आश्रित से वसूल कर ली जाय। **कार्यवाही आवेदन कर्ता पुलिस अधि0 / कर्मचारी द्वारा**

(8) दिनांक 01.9.2017 से उपर्युक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही **SGPGI** लखनऊ द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए उपचार की कार्यवाही की जायेगी।

2. अतएव अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार SGPGI लखनऊ में उ0प्र0 पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों / उनके आश्रितों के कैशलेस उपचार के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30/8/2017

(जुगुल किशोर)
पुलिस अधीक्षक, भ0 / क0,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–श्रीमती परवीन आजाद, विशेष कार्याधिकारी–कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय पुलिस लाइंस लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।